

# कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 990


दिनांक :- 12/09/2024

## ॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 919 दिनांक 30.08.2024 में अपरिहार्य कारणों से संशोधन कर दिनांक 13.09.2024 एवं दिनांक 15.09.2024 के राजकीय अवकाशों के लिए टोंक ज्युडिशियल क्षेत्र में प्रोटोकॉल से सम्बन्धित कार्य हेतु नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इयूटी करने के लिए अधिकृत करता हूँ। साथ सितम्बर के लिए अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	हर्ष मीना	8290481196	13.09.24
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	8302657251	15.09.24

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 991-999

दिनांक :- 12/09/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा।
- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
- पुलिस अधीक्षक, टोंक।
- अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
- जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
- सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
- पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
- प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
टोंक (राजस्थान)